न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–37 / 2015 दायर दिनांकः 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00166

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

– वादी

बनाम

1. चेतन कुमार आ0 नन्दकिशोर महाजन निवासी कोटा।

––प्रतिवादी

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 17.08.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा छोटी पडाप में भूमि खसरा संख्या 135/346 रकबा 4–00 बीघा स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 02.10.77 को आंवटी मांगे खां आ0 रूस्तम खां को आवंटन हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी है। यह कि आवंटित भूमि की तरमीम आईएलआर द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा छोटी पडाप की भूमि खसरा सं. 135/346 रकबा 4–00 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार की तथा निवेदन किया कि आवंटन के मुताबिक व विधी सम्मत तरीके से सड़क से निर्धारित दूरी छोडते हुए नियमानुसार तरमीम की गई है। यह कि वादी का उक्त प्रकार से वाद प्रस्तुत कर तरमीम को निरस्त करवाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। तरमीम को विधी सम्मत तरीके से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर ही निरस्त करवाया जा सकता है। वादी का वाद मेन्टेबल नही है। वाद खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र, जवाब वाद पत्र एवं बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकार्ड साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नही की है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन आदेश/नियमन आदेश, तरमीम आदेश, सुपुर्दगीनामापेश आदि पेश नही किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)